

## समापन भाषण

चतुर्दश बिहार विधान सभा का त्रयोदश सत्र दिनांक १७ दिसम्बर, २००९ से प्रारम्भ होकर आज दिनांक २४ दिसम्बर, २००९ को समाप्त हो रहा है। इस सत्र में कुल छः बैठकें हुईं।

सत्र के प्रथम दिन बिहार विधान सभा में उद्भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथापारित महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमत ०७ (सात) विधेयकों का एक विवरण सभा संविवालय द्वारा सभा पटल पर रखा गया। १० (दस) जननायकों के निधन पर शोक-प्रकाश किया गया एवं दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गयी।

दिनांक १८ दिसम्बर, २००९ को प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा द्वितीय वर्ष २००९-१० के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी को सदन में उपस्थापित किया गया।

दिनांक २१ दिसम्बर, २००९ को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद ३६८ के खंड (२) के परन्तुक 'घ' के अधीन संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान (१०९ वां संशोधन) विधेयक, २००९ का अनुसमर्थन करने से संबंधित राजकीय संकल्प पेश किया गया एवं सरकार का पक्ष रखा गया। तदुपरांत संकल्प सदन द्वारा सर्वसमति से पारित हुआ।

दिनांक २२ दिसम्बर, २००९ को वाणिज्य कर विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, २००५ की धारा-१९ के तहत अधिसूचना संख्या-एस०ओ० १५५, दिनांक ३०.७.२००९, एस०ओ०-२६०, दिनांक १९.११.२००९, एस०ओ० २६२ दिनांक १९.११.२००९ तथा एस०ओ०-२६४ दिनांक १९.११.२००९ की प्रति सदन पटल पर रखी गयी।

दिनांक २३ दिसम्बर, २००९ को प्रभारी मंत्री, कृषि विभाग द्वारा बाट और माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, १९८५ की धारा-७५ (५) के तहत बिहार बाट और माप मानक (प्रवर्तन) नियमावली, १९८८ एवं बिहार बाट और माप मानक (प्रवर्तन) (संशोधन) नियमावली, २००७ की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखी गयी।

वित्तीय वर्ष २००९-१० के लिये द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण में सन्निहित सभी मांगें सदन द्वारा स्वीकृत हुईं।

राजकीय विधेयकों में यथा - (१) बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, २००९, (२) बिहार मूल्य वर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, २००९, (३) बिहार भूमि विवाद निराकरण विधेयक, २००९ एवं (४) बिहार विनियोग (संख्या-४) विधेयक, २००९ सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग द्वारा बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग अधिनियम, १९९६ की धारा-१२(३) के तहत बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग का वर्ष २००८-०९ का वार्षिक प्रतिवेदन सदन पटल पर रखा गया।

सत्र के दौरान कुल ९८८ प्रश्नों की सूचना प्राप्त हुई । उसमें कुल ६७८ प्रश्न स्वीकृत हुए जिसमें २१ अल्पसूचित प्रश्न, ४९६ तारांकित प्रश्न एवं २३३ अतारांकित प्रश्न थे । इन स्वीकृत प्रश्नों में से ४० उत्तरित हुए एवं ३५ प्रश्नोत्तर सभा पटल पर रखे गये । ०९ प्रश्न अपृष्ठ एवं ५९३ प्रश्न अनागत हुए ।

इस सत्र के दौरान कुल ५३ गैर सरकारी संकल्प की सूचना पर सदन में विचार विमर्श हुआ ।

सत्र के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा शून्यकाल के माध्यम से जनहित के मामले उठाये गये ।

बिहार विधान सभा की विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन सदन पटल पर रखे गये ।

इस सत्र में कुल ७४ निवेदन प्राप्त हुए जिसमें ३८ स्वीकृत हुए एवं ३६ अस्वीकृत हुए । कुल ४४ याचिकाएं प्राप्त हुईं जिनमें ३१ स्वीकृत एवं ९३ अस्वीकृत हुईं । इस सत्र में कुल १०६ ध्यानाकर्षण सूचनाएं प्राप्त हुईं जिनमें १० वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुए तथा ९७ सूचनाएं लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेजे गये एवं ०५ अमान्य हुए ।

सत्रावधि के दौरान पटना एवं नालंदा जिलांतर्गत विभिन्न माध्यमिक विद्यालयों के छात्र एवं छात्राओं ने सदन के अंतराल के पहले की कार्यवाही को देखा । इस कार्य में बिहार विधान सभा सचिवालय के अतिरिक्त मानव संसाधन विकास विभाग तथा श्रम संसाधन विभाग के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा पटना वीमेंस कॉलेज का सहयोग प्राप्त हुआ जो धन्यवाद के पात्र हैं ।

...क्रमशः ...

**क्रमशः-** इस सत्र में प्रश्नकाल का पटना दूरदर्शन द्वारा डेफर्ड प्रसारण किया गया तथा संपूर्ण कार्यवाहियों की रिकॉर्डिंग भी की गयी जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इन कार्यों में जुड़े कर्मचारी एवं पदाधिकारीगण धन्यवाद के पात्र हैं।

सत्र के संचालन में भरपूर एवं सौहार्दपूर्ण सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री, नेता, विरोधी दल एवं अन्य दलीय नेताओं के साथ ही पक्ष-प्रतिपक्ष के सभी सदस्यों का मैं आभारी हूँ। पत्र प्रतिनिधियों, समाचार एजेंसी, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दूरदर्शन एवं आकाशवाणी ने जनमानस के बीच सदन की कार्यवाही को ले जाने का जो सराहनीय कार्य किया उसके लिए उन्हें मैं साधुवाद देता हूँ।

सभा के कार्य संचालन में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा बिहार सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों सहित आरक्षी बल के जवानों ने जिस तत्परता, लगन और निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कुशलतापूर्वक किया, इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं।

आज इस सत्र का समापन ही नहीं हो रहा है, बल्कि वर्ष २००९ का भी अवसान होने वाला है। क्रिसमस एवं नव वर्ष के शुभागमन की बेला में मैं प्रदेश की जनता एवं आप सबों के उज्ज्वल भविष्य तथा सुखद जीवन की मंगल कामना करता हूँ।

अब सभा की थैठक अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की जाती है।

\*\*\*\*